प्रकरण हाजा में मौजा मांगलोद एवं तंवरा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि ग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 797/283 की भूमि को यथावत प्रतिवादी या 3 भंवरू उर्फ भंवरलाल व खसरा नंबर खसरा नंबर 218 का माफिक ईकवाली जवाब सार बंट चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन विभाजन नहीं है अतः मौजा तंवरा का खेत खसर नंबर की भूमि का बंटवाड़ा पूर्ण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 25.11.2021 को मिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 25.11. 1 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4 दिनांक 14.12.2021 को प्रशासन ों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत जायल मेगा शिविर में प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री व पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही ा स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को टेस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् वादी एवं प्रतिवादी गिरधारी, आशी देवी, भंवरलाल उर्फ भंवरू दत्तक पुत्र गणेशराम ने वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है इसके अतिरिक्त मौके पर अन्य प्रतिवादी उपस्थित ों हुवे। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान कानाराम व वरलाल तथा भू.अभि.निरीक्षक सुरपालिया एवं पटवार हल्का तंवरा की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा स्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः तहसीलदार जायल प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिग्री ज्या जाना न्यायोचित समझते हैं।

-::आदेश::-

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 जस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट पत्रांक 4 दिनांक 14.12.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

1. वादी गिरधारी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 218 रकबा 6.9363 हैक्टैयर में से 2.7357 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादीगण लिछमणराम, आशी देवी, व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बीरमाराम, हरदीनराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 218 रकबा 6.9363 हैक्टैयर में से 2.7357 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 172/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00304
गिरधारी वगैरह बनाम् बीरनाराम वगैरह

3. प्रतिवादी संख्या 3 भंवरू उर्फ भंवरलाल दत्तक पुत्र गणेशाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 218 रकबा 6.9363 हैक्टैयर में से 1.4407 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 797/289 रकबा 1.2950 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
4. गिरधारी पुत्र भोमराम, आशी पत्नी कानाराम, लिछमणराम, बिरमाराम, हरदीनराम पुत्र गण कानाराम के संयुक्त हक बंट में खेत खसरा नंबर 218 में से रकबा 0.0242 हेक्टैयर अर्थात 0.03 बीघा नजरीनक्शानुसारर रास्ते के रूप में रहेगा।
5. खसरा नंबर 979/797 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता बदस्तूर।
6. **बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक..............................को सूचित हो।**

निर्णय आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner